www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 08.04.2017

सीबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के कथित उल्लंघन पर पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबन्धक एवं अन्यों के विरूद्ध मामला दर्ज किया

सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक, दादरी, गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) के साधोपुर की झाल शाखा में कार्यरत शाखा प्रबन्धक एवं सहायक प्रबन्धक ; गा़जियाबाद की प्राइवेट फर्म के मालिक एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी, 420,468, 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया।

ऐसा आरोप था कि पंजाब नेशनल बैंक, साधोपुर की झाल शाखा, दादरी, गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) में कार्यरत शाखा प्रबन्धक (स्केल-II) एवं सहायक प्रबन्धक (स्केल-I) ने आपराधिक षड़यंत्र किया एवं इसके अनुशरण में, झूठे एवं जाली दस्तावेजों के आधार पर गा़जियाबाद की प्राइवेट फर्म के एक मालिक के पक्ष में चालू खाता खोला। ऐसा आरोप था कि विमुद्रीकरण के पश्चात, आर.बी.आई. द्वारा दिनांक 08.11.2016 के जारी दिशा निर्देशों के उल्लघंन में, लोक सेवकों ने अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलीभगत में 2,13,40,000 रू. के लगभग की राशि (अवैध निर्दिष्ट बैंक नोट-500 रू. एवं 1000 रू. मूल्य के वापस लिए गए बैंक नोट) को दिनांक 11.11.2016 से 29.11.2016 के मध्य अलग-अलग तिथियों को उक्त मालिक के नाम पर खोले गए चालू खाते में जमा कराने की सुविधा प्रदान की। ऐसा भी आरोप था कि लोक सेवकों ने जानबुझकर जमाकर्ताओं के पहचान पत्र लेना भूल गए (जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अनिवार्य घोषित था) एवं इस प्रकार इन जमाकर्ताओं की इनकी पहचान छुपाने की सुविधा प्रदान की व बेइमानी से आर.बी.आई. के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन में 2,13,40,000 रू. (लगभग) की राशि के अवैध निर्दिष्ट बैंक नोटो को जमा करने की अनुमति दी और इस प्रकार अवैध निर्दिष्ट बैंक नोटो को जमा करने के द्वारा भारत सरकार को ठगा।

आगे की जॉच जारी है।

****